बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या – 17 –योजना(अवधि विस्तार)–85 / 2015.687

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक:- 19/5/2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम योजना (NLRMP/DILRMP) के अधीन केन्द्रांश की राशि 8,75,19,280 / = (आठ करोड़ पचहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ अस्सी) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम योजना (NLRMP/DILRMP) के अधीन विभिन्न अवयवों में व्यय हेतु केन्द्रांश की कुल राशि 73,27,21,000 / = (तिहत्तर करोड़ सताईस लाख एक्कीस हजार) रूपये मात्र का योजना उद्व्यय / बजट उपबंध कर्णांकित है। उक्त कर्णांकित राशि में से वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 8,75,19,280 / = (आठ करोड़ पचहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ अस्सी) रूपये मात्र की स्वीकृति व्यय हेतु दी जाती है।

3. बिहार राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों तथा खतियान को अद्यतन करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम योजना की वित्तीय 2015–16 से 2017–18 तक के लिए स्वीकृति मंत्रिपरिषद की दिनांक 16.06.2015 को आयोजित बैठक के मद संख्या – 10 से प्राप्त है और जिसकी अधिसूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0 17–योजना(अवधि विस्तार)–85 / 2015 / 1184 दिनांक 03.07.2015 से निर्गत है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष – 2029–भू–राजस्व– उपमुख्य शीर्ष – 00–लघु शीर्ष – 103–भू–अभिलेख, उप शीर्ष – 0206 – राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0), विपत्र कोड 40–2029001030206 एवं मांग संख्या – 40 से विकलनीय होगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी / समाहर्त्ता / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना होंगे। वे राशि की निकासी संबंधित कोषागारों से करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पूर्व से प्राधिकार पत्र निर्गत है, इसलिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम योजना (NLRMP/DILRMP) के अंतर्गत हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से सर्वे / री–सर्वे कार्य हेतु संबंधित जिलों के समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेखों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु सभी जिला के जिला समाहर्त्ता को एवं मानचित्रों के डिजिटाईजेशन हेतु उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना – 7 को आवंटन निर्गत किया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना की संचिका सं0 17–योजना(अवधि विस्तार)–85 / 2015 के टिप्पणी पृष्ठ सं0 84 / टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/5/17

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 687 **पटना, दिनांक** :– 19/5/2017

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / बजट प्रशाखा – 5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता / बंदोबस्त पदाधिकारी / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना – 7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / उप कोषागार, पटना सिटी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85 / 2015 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / लेखापाल, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव